राजस्थान विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव की भर्ती

कुलाधिपति ने तुरन्त प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया को आस्थगित किया

जयपुर, 09 अगस्त। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव की भर्ती प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से आस्थगित (Kept in abeyance) किये जाने के निर्देश कुलपति श्री आर.के. कोठारी को दिये हैं। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने उप कुलसचिव की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के सम्बन्ध में आ रही शिकायतों को गम्भीरता से लिया है। कुलाधिपति श्री सिंह को इस संदर्भ में ज्ञापन व शिकायतें प्राप्त हुई है। राज्यपाल को भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभिन्न समाचारपत्रों से भी जानकारी मिली है। राज्यपाल श्री सिंह ने इन सभी शिकायतों पर संज्ञान लेकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है।

कार्यग्रहण ना कराया जाये

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संदर्भ में भेजे पत्र में कहा है कि उप कुलसचिव की भर्ती प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से आस्थगित किया जाये। उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण में यदि नियुक्ति आदेश जारी कर भी दिये गए हैं तो उन नियुक्ति आदेशों की पालना में किसी को कार्यग्रहण न करवाया जाये।

21 अगस्त तक कुलाधिपति को देनी है रिपोर्ट

राज्यपाल श्री सिंह ने इस भर्ती प्रक्रिया में आई विभिन्न शिकायतों पर विश्वविद्यालय के कुलपति से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। कुलाधिपति श्री सिंह ने 21 अगस्त तक इस मामले में विस्तृत आख्या के साथ वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराने के लिए कुलपति को कहा है।

19 बिन्दुओं पर राज्यपाल ने मांगी आख्या

कुलाधिपति श्री सिंह ने उन्नीस बिंदुओं पर विश्वविद्यालय के कुलपति से जानकारी मांगी है। राज्यपाल ने उप कुलसचिव पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के आरम्भ से लेकर एपाइन्टमेन्ट लेटर जारी करने तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट राजभवन भेजे जाने के लिए कहा है। राज्यपाल ने कुलपति से पूछा है कि उप कुलसचिव का विज्ञापन कब जारी हुआ, कितने पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का क्वालीफाइंग क्राइटेरिया क्या रखा गया, लिखित परीक्षा कब हुई, लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए, लिखित परीक्षा का रिजल्ट कब निकाला व किस–किस उम्मीदवार को कितने–कितने अंक मिले, साक्षात्कार के लिए कटआफ मार्क्स क्या रखे गये। कितने और किस–किस अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए पत्र भेजे तथा साक्षात्कार की तिथि कब थी।

लिफाफा क्या सिंडीकेट में खोला गया

कुलाधिपति ने जानना चाहा है कि साक्षात्कार के लिए बने बोर्ड में कितने और कौन–कौन विशेषज्ञ शामिल थे। साक्षात्कार के समय बोर्ड के कौनसे सदस्य मौजूद थे। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की सूची, कट आफ मार्क्स व साक्षात्कार शेड्यूल में यदि कोई परिवर्तन किया गया हो, तो उसकी जानकारी भी कुलाधिपति ने मांगी है। कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने जानना चाहा है कि चयनित अभ्यर्थियों का सीलबन्द लिफाफा क्या सिंडीकेट में खोला गया और यदि ऐसा किया गया है तो उस दिन की सिंडीकेट मीटिंग में कौनसे सदस्य उपस्थित थे। राज्यपाल ने नियुक्ति पत्र जारी करने व ज्वाईनिंग की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट भी राजभवन भेजे जाने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिये है।

उच्च शिक्षा के प्रति राज्यपाल गम्भीर

राज्यपाल श्री कल्याण सिंह राज्य में उच्च शिक्षा के प्रति बेहद गम्भीर हैं। उन्होंने राज्य की उच्च शिक्षा में पारदर्शिता व उत्कृष्टता लाने के लिए अनेक बार समय–समय पर निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों को अमल में लाने की अनुपालना और प्रकरणों को निर्णय की स्थिति तक लाने के लिए कुलाधिपति श्री सिंह लगातार समीक्षा भी करते है

– – –

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
राज्यपाल, राजस्थान
09829271189